अ0शा0पत्र परिपत्र संख्या – 48 /2015

अरविन्द कुमार जैन,
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

दिनांकः जून 28 , 2015

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत है कि प्रदेश में आपसी सद्भाव एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस विभाग का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है। छोटी-छोटी घटनाओं/विवादों को लेकर साम्प्रदायिक रूप दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है, छोटी-छोटी घटनाओं को वृहद रूप दिये जाने के लिए झूठी अफवाहें भी फैलायी जा रही है एवं वर्तमान परिवेश में **Social Networking Sites** जैसे **Facebook, Twitter, WhatsApp** आदि का प्रयोग ऐसी घटनाओं को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करके साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए किया जा रहा है। आप सभी भलीभांति अवगत है कि विगत वर्षो में इण्टरनेट सेवाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार हुआ है। **Social Networking Sites** ने समाज में सूचनाओं के आदान-प्रदान में क्रान्तिकारी गति प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर इसका दुरूपयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, संस्थाओं के प्रति दुष्प्रचार फैलाने आदि के लिए अपराधिक षडयंत्र के रूप में किया जा रहा है।

2- पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में **परिपत्र संख्याः 44 दिनांक 4/8/2013**, परिपत्र संख्याः डीजी-8-94(122)2013 दिनांक 10/9/2013, तथा परिपत्र संख्याः डीजी-51/2013 दिनांक 14/9/2013 निर्गत किये गए है। इन परिपत्रों में **Proactive Surveillance, Page/Profile** को **Block** करने की कार्यवाही, शिकायत प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से निर्देश दिये गए है।

3- मेरे संज्ञान में यह तथ्य आए है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अभी भी पुलिस द्वारा ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे है, जिससे प्रदेश में साम्प्रदायिक उन्माद एवं तनाव बढ़ने की आशंका रहती है। जनपदों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में **Social Media** का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया है।

अपराधिक तत्व **Social Media** के माध्यम से सामाजिक समरसता को आहत कर साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए तरह-तरह के प्रयोग कर रहे हैं।

4- अत: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि--

(A) जो भी व्यक्ति इण्टरनेट सेवाओं के द्वारा **Facebook** पर बनी **Page/Profile, WhatsApp** आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर साम्प्रदायिक तनाव फैलाता है, तो उसके विरूद्ध **Information Technology Act**, भारतीय दण्ड विधान (उदाहरणार्थ धारा 153A, 153B, 295A आदि), **N.S.A.** (रा0सु0का), **Goonda Act** के अन्तर्गत नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाए।

(B) ऐसे व्यक्तियों को **"साम्प्रदायिक गुण्डा"** की श्रेणी में रखा जाए। जो लोग साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले संदेशों को **Forward**/अग्रसारित करने, **Upload** करने, जैसी कार्यवाही करते हैं, उनके विरूद्ध भी **Goonda Act** एवं अन्य अधिनियमों में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए।

(C) ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में तत्काल **Anti Terrorist Squad (A.T.S.)** एवं **Special Task Force (S.T.F.)** को भी सूचित किया जाए। यदि कोई ऐसी विषयवस्तु है, जिसमें कोई **Cyber** सम्बन्धी जटिल विषय है, तो ऐसी स्थिति में अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं तथा जनपदों में स्थापित **Cyber cell** की सेवाएं ली जाएं।

(D) आप अपने जनपद में **Facebook, WhatsApp, Twitter** एवं अन्य **Social Networking Sites** की निरन्तर **Surfing** करते रहे, ताकि आपत्तिजनक चित्र, टिप्पणी, वीडियो अथवा संदेश आदि तत्काल आपके संज्ञान में आ सके। ऐसा संज्ञान में आते ही सम्बन्धित **Facebook Site/Profile** को तत्काल **Block** कराएं एवं उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करायी जाए।

(E) भ्रामक एवं असत्य अफवाहों का खण्डन भी **Social Media/Electronic Media** एवं अन्य माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

5- आप सभी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपराध गोष्ठियों में इस सम्बन्ध में निर्गत समस्त परिपत्रों की प्रतियां अपने अधीनस्थों को उपलब्ध कराकर उनसे विचार-विमर्श भी करें, जिससे उनको इण्टरनेट के माध्यम से समाज में साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की जानकारी हो सके तथा इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समय से नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

28.6.15

(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक (नाम से)
जनपद/रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0
4. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ0प्र0
5. पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0
6. पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0
7. पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, उ0प्र0
8. पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0
9. मुख्यालय पर नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारी